

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, February 11, 2026**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2024-88 dated 10.07.2024, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that in case of the instrument executed prior to March 31, 2004 and pending before Collector (Stamps) for adjudication of stamp duty and market rates of that period are not available, the stamp duty shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Period of Execution	Stamp Duty payable
1.	If the document is executed upto March 31, 1995	On 20% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).
2.	If the document is executed between April 1, 1995 to March 31, 2000	On 30% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).
3.	If the document is executed between April 1, 2000 to March 31, 2004	On 40% of the market value of the property prevailing on the date of reference to Collector (Stamps).

**Note:** If the market rates of the above periods are available then the stamp duty shall be calculated and charged on the basis of such market rates.

[No.F.4(2)FD/Tax/2026-126]

By order of the Governor,



**(Nathmal Didel)**

Special Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, फरवरी 11, 2026

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2024-88 दिनांक 10.07.2024 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 31 मार्च, 2004 से पूर्व निष्पादित और स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लंबित लिखत के मामले में और उक्त कालावधि की बाजार दरें उपलब्ध नहीं हैं तो स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	निष्पादन की कालावधि	संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	यदि दस्तावेज 31 मार्च, 1995 तक निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।
2.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत पर।
3.	यदि दस्तावेज 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2004 के मध्य निष्पादित किया गया है	कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर संपत्ति के विद्यमान बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत पर।

**टिप्पण:** यदि उपर्युक्त कालावधियों की बाजार दरें उपलब्ध हैं तो स्टाम्प शुल्क ऐसी बाजार दरों के आधार पर संगणित और प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2026-126]

राज्यपाल के आदेश से,



(नथमल डिडेल)

विशिष्ट शासन सचिव।